न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या / अभ्यावेदन / 62 / 2022

श्रवण कुमार पुत्र दुर्गाराम, निवासी बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1 उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2 तहसीलदार, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
3 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला झुंझुनूं।
4 राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं जरिये प्रधानाध्यापक।

—— अप्रार्थीगण

Request to consider and decide the representation of the applicant in compliance of the order dated 06.10.2021 in S.B. Civil Writ Petition No. 10716/2021

——

उपस्थितः—

1. एडवोकेट श्री उम्मेद राज सैनी, एडवोकेट— प्रार्थी श्री श्रवण कुमार की ओर से उपस्थित।
2. एडवोकेट श्री श्रवण कुमार सैनी— अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा— अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, बागौर— अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

निर्णय दिनांकः—30.03.2022

प्रार्थी श्रवण कुमार पुत्र दुर्गाराम, निवासी बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं ने माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 10716 / 2021 उनवानी श्रवण कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 की पालना करवाने बाबत दिनांक 03.02.2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बागौर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं स्थित भूमि खसरा नम्बर 106, 110, 111 उसकी स्वयं की 1/6 हिस्से की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी पर ख0न0 358 / 17, 376 / 105 मे काबिज राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। अभ्यावेदन उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, जिला झुंझुनूं, तहसीलदार, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला झुंझुनूं एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, बागौर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

1. By way of the present writ petition the petitioner has challenged the order dated 15.10.2020 passed by the Board of Revenue, Ajmer in Reference/LR/4159/2011/Jhunjhunu.

जिला कलक्टर झुंझुनूं

2. Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner is having Khatedari land in Khasara No. 106, 110 and 111 of Village Bagor, Patwar Halka Bilwa, whereas the reference in question was made for Khasara No. 112.
3. Learned counsel submits that in the guise of the order aforesaid the Revenue authorities are harassing the Petitioner and doing measurement and demarcation of petitioneris land and asking him to remove his construction alleging it to be encroachment.
4. In the opinion of this Court the Petitioner has to satisfy respondent- authority, as to whether he is having possession or title of the land in question.
5. This Court in extra-ordinary jurisdiction cannot enter into factual determination.
6. The writ petition, therefore, fails.
7. However, a liberty is given to the petitioner to file his objections and reply before the respondents including respondent No. 2 District Collector, Jhunjhunu, who shall obviously proceed in accordance with law.
8. Stay petition also stands dismisses accordingly.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 06.10.2021 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार खेतडी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थी को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। अप्रार्थी सं0 2 तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्रांक राजस्व/2022/90 दिनांक 04.03.2022 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम बागौर पटवार हल्का बीलवा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 1.88 हैक्टेयर किस्म बारानी 4, खसरा नम्बर 110 रकबा 1.04 हैक्टेयर किस्म बंजड 2 एवं खसरा नम्बर 111 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म बंजड 2 प्रार्थी श्री श्रवण कुमार पुत्र दुर्गाराम हिस्सा 1/6 जाति नायक सहित अन्य सह खातेदार की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम बागौर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 358/17 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0स्कूल भूमि खसरा नम्बर 376/105 रकबा 0.72 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 स्कूल फील्ड राजकीय प्राथमिक विघालय बागौर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त राजकीय प्राथमिक विघालय बागौर के नाम गत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनूं के आदेश कमांक 6939–7073 दिनांक 02.07.1992 के तहत भूमि खसरा नम्बर 17 मे से 0.05 हैक्टेयर (स्कूल भवन के लिए) व भूमि खसरा नम्बर 105 मे से रकबा 0.70 हैक्टेयर (स्कूल खेल मैदान के लिए) आंवटन किया गया है। उपरोक्त आंवटित भूमि की आंवटन के अनुसार ही नक्शा लट्ठा मे तरमीम की गई है तथा नक्शे [illegible] तरमीम अनुसार गत दिनों टीम का गठन कर स्कूल के खेल मैदान भूमि खसरा नम्बर [illegible] करा सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी मे दर्ज भूमि का सीमाज्ञान करवा[illegible] भूमि खसरा नम्बर 106, 110 व 111 की सीमायें निर्धारित कर सकता है। जिससे की विवाद की स्थिति पैदा ना हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं ने पत्रांक 2811 दिनांक 21.03.2022 से न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान्जी आपके

कलक्टर झुन्झुनूं

पत्र क्रमांक प 12(3)राज/92/6939–7073 दिनांक 02.07.1992 को राजकीय प्राथमिक विघालय बागौर को खसरा नम्बर 17/1 क्षेत्रफल 2.55 है0 गै0मु0 पहाड मे से 0.05 है0 एवं खसरा नम्बर 105 क्षेत्रफल 3.39 है0 गै0मु0 पहाड मे से 0.70 है0 स्कूलों के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि आंवटन नियम 1963 मे निर्दिष्ट शर्तो के अधीन एतद् द्वारा नियमितकरण किया गया था की पालना मे श्रीमान् तहसीलदार खेतडी के आदेश क्रमांक राजस्व/2021/1078–79 दिनांक 22.06.2021 के द्वारा बीलवा, खेतडी एवं नंगली सलेदी सिंह के पटवार सर्किल के पटवारियों के साथ गिरदावर हल्का खेतडी द्वारा दिनांक 25.06.2021 को विघालय के खेल मैदान का खसरा नम्बर 376/105 का सीमाज्ञान करवाया जाकर मैदान के चारों ओर सीमांकन के निशान कायम करवाये गये। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय बीलवा ने अपने पत्र क्रमांक 1844 दिनांक 03.03.2022 द्वारा अवगत करवाया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विघलय बागौर का खेल मैदान खसरा नम्बर 376/105 विघालय के अधिकार क्षेत्र मे है इस पर किसी का कोई अतिक्रमण नही है की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त आंवटित जमीन भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय बागौर को आंवटित है तथा उक्त भूमि पर इस विघालय का कब्जा स्थापित है।

अप्रार्थी सं0 4 प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, बागौर ने न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपके कार्यालय आदेश 6939–7073 दिनांक 02.07.1992 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय अनाधिवासित भूमि आंवटन नियम 1963 मे निर्दिष्ट शर्तो के अधीन ख0न0 17/1 कुल क्षेत्रफल 2.55 हैटर मे से 0.05 हैक्टर भूमि विघालय भवन तथा ख0न0 105 कुल क्षेत्रफल 3.39 हैक्टर मे से 0.70 हैक्टर भूमि विघालय खेल मैदान के हक मे नियमित की गई थी। राजस्व रिकार्ड पुरानी जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के मुताबिक ख0न0 17/1 गै0मु0 पहाड 0.050 हैक्टर क्षेत्रफल पर विघालय भवनल तथा ख0न0 105/2 गै0मु0 नाला 0.70 हैक्टर क्षेत्रफल पर विघालय खेल मैदान दर्ज है। नवीन जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार ख0न0 358/17, 0.05 हैक्टर क्षेत्रफल पर विघालय भवन तथा ख0न0 376/105 पर .070 हैक्टर क्षेत्रफल पर विघालय का खेल मैदान दर्ज है। जैसा कि उनवानी श्रवण कुमार ने लिखा है कि पुराना ख0न0 17/1 नये ख0न0 21/1 मे तथा पुराना ख0न0 105 नये ख0न0 33, 23 व 33 मे कन्वर्ट हो गये है, आगे लिखते है कि वर्तमान ख0न0 376/105 किस ख0न0 से बना है की जानकारी, खसरा गठन की प्रक्रिया की जानकारी राजस्व विभाग से संबंधित है। आगे उनवानी लिखता है कि खेल मैदान व भवन भूमि पर गांव के कुछ निवासियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। दिनांक 25.06.2021 को राजस्व विभाग द्वारा सीमा ज्ञान व पिल्लर निर्माण के पश्चात् किसी भी ग्रामीण का भवन व खेल मैदान पर [illegible] ही उनवानी श्रवण कुमार को हमारी तरफ से अतिक्रमी बताया गया है। अतः रिपोर्ट [illegible] कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के [illegible] कथन किया कि विवादित भूमि पास उसकी खातेदरी भूमि ख0न0 106, 11[illegible] प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि का उसकी स्वयं मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 ने वकील प्रार्थी के इस कथन पर कोई ऐतराज नही किया।

हमने बहस वकील प्रार्थी, अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर मनन किया। अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 106, 110 एवं 111 मे अवस्थित भूमि मौके पर कम होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतः तहसीलदार खेतडी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बीलवा मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 106, 110 एवं 111 के साथ–साथ विवादित भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी की स्वयं की मौजूदगी मे करवाया जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, तहसीलदार खेतडी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनूं एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय, बागौर को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.07 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested